बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, विनियम, 1998

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित

संख्या 187
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

अधिसूचना

पटना, दिनांक 15 मार्च, 2001

विधिक सेवा प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या- 59, 1994) द्वारा यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39, 1987) की धारा 29-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूवोक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, विनियम, 1998

अध्याय-१

<u>प्रारम्भिक</u>

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-
(अ) यह विनियम बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम, 1998 कहलायेगा ।
(ब) यह राज्य प्राधिकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से प्रदत्त होगा ।

2. परिभाषाएं:- जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, इस विनियम में:-

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (39, 1987) ।

(ख) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अधीन बनायी गयी बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 ।

(ग) ''राज्य प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1985 की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ।

(घ) ''उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति'' से अभिप्रेत है, पटना उच्च न्यायालय, पटना के लिए विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 8-क के अधीन गठित समिति ।

(ङ) ''जिला विधिक सेवा प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य में प्रत्येक राजस्व जिला के लिए विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 9 के अधीन गठित समिति ।

(च) ''अनुमंडल विधिक सेवा समिति'' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य में प्रत्येक राजस्व अनुमंडल या राजस्व अनुमंडलों के समुहों के लिए विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 11-क के अधीन गठित समिति ।

(छ) इस विनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों से अभिप्रेत वही होगा जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किये गये हों ।

अध्याय-II

3. पटना उच्च न्यायालय, पटना के लिए एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति होगी ।

4. पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के पदेन सदस्य निम्नलिखित होंगे :-

(i)	पटना उच्च न्यायालय के एक वर्त्तमान न्यायाधीश/उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।	-	अध्यक्ष
(ii)	महाधिवक्ता, बिहार	-	सदस्य
(iii)	अध्यक्ष, पटना उच्च न्यायालय विधिक संघ-		सदस्य
(iv)	सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पटना (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा)	-	सचिव

(v) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य ऐसे सदस्यों (तीन से अनधिक) का नाम-निर्देशन कर सकेगा जो इस विनियम के उप विनियम (5) में विहित अनुभव एवं अर्हता रखते हों ।

5. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्देशन के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वहः-

(क) एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता न हो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बच्चों, गामीण तथा शहरी श्रमिकों सहित समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान में संलग्न न हो, अथवा

(ख) विधि तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति न हो, या

(ग) ऐसा विख्यात व्यक्ति न हो जो विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में विशेष रूचि नहीं रखता हो ।

6. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की पदावधि और नियुक्ति की अन्य शर्त्तेः-

(i) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा विनियम (5) के अधीन नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य की पदावधि दो वर्षो की होगी और वह पुनर्नाम निर्देशन का पात्र होगा ।

(ii) विनियम (5) के अधीन नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सदस्य कार्यकारी अध्यक्ष की अनुशंसा पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकेगा यदि-

(क) वह पर्याप्त कारण के बिना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की लगातार तीन बैठकों में भाग न लें,

(ख) वह न्याय निर्णीत दिवालिया रहा हो, या

(ग) वह ऐसा अपराध का दोषसिद्व रहा हो जिसमें मुख्य न्यायाधीश की राय में नैतिक अधमता का मामला अर्न्तग्रस्त हो, या

(घ) सदस्य के रूप में काम करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो, या

(ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया कि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में उसके बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता होः-

परन्तु किसी भी सदस्य को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से नहीं हटाया जायेगा ।

(iii) कोई भी सदस्य मुख्य न्यायाधीश को संबोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से पदत्याग कर सकेगा और ऐसा पद-त्याग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत तिथि से प्रभावी होगा ।

(iv) यदि विनियम (5) के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य किसी कारणवश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सदस्य न रह जाय तो किसी रिक्ति की पूर्ति मूल नाम निर्देशन की तरह ही की जायेगी और इस प्रकार नाम निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि तक सदस्य बना रहेगा जिसके स्थान पर उसका नाम निर्देशन हुआ हो ।

(v) उप विनियम ;अपद्ध के उपबंध के अधीन उप विनियम ;अद्ध के अधीन नाम निर्दिष्ट सभी सदस्य उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की बैठकों एवं कृत्यों के सिलसिले में की गयी

यात्राओं के लिए यात्र-भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान पाने के हकदार होंगे और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा उसका भुगतान सरकारी कार्य से यात्रा करने वाले श्रेणी-1 के पदाधिकारी को अनुमान्य दर पर किया जायेगा ।

(vi) यदि कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो तो वह ऐसी दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, जो उस पर लागू सेवा नियमावली के अधीन उसके लिए अनुमान्य हों और उसकी निकासी वह उसी विभाग से करेगा जहां वह नियोजित हो ।

(vii) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव उच्च न्यायालय के संयुक्त निबंधक से अन्यून पंक्ति का न्यायिक पदाधिकारी होगा जो कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होगा और उसे कर्त्तव्य सम्पादन के लिए 250 रू0 प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जायेगा जिसे समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

7. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कृत्य

(i) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह राज्य प्राधिकार की नीतिक एवं निर्देशों को प्रभावी बनावें ।

(ii) उप विनियम ;पद्ध में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति निम्नलिखित में से सभी या हिन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगीः-

(क) ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा उपलब्ध कराना जो अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के अधीन अधिकथित मानदण्डों को पूरा करते हों ,

(ख) उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों के लिए लोक अदालतों का संचालन करना, और

(ग) उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों के सिलसिले में उनके पक्षकारों के बीच बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के रूप में विवादों के निपटारा को प्रोत्साहित करना ।

8. सचिव के कृत्य

(i) सचिव, संबंधित समिति को सौंपी गयी सभी आस्तियों, लेख, अभिलेखों, निधियों का अभिरक्षक होगा और वह ऐसी समिति के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन कार्य करेगा ।

(ii) सचिव, समिति की निधि की प्राप्ति और संवितरण का सही और समुचित लेखा का संधारण करेगा या करवायेगा ।

(iii) सचिव, अध्यक्ष के पूर्व-अनुमोदन से समति की बैठक बुलायेगा और बैठक में भाग भी लेगा तथा अलग से बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की अभिलिखित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

9. समिति की बैठक

(i) समिति की बैठक सामान्यतः महीने में एक बार उस तारीख और समय पर, संबंधित समिति के मुख्यालय में या ऐसे स्थान पर, होगी जो सचिव, अध्यक्ष के साथ परामर्श करके विनिश्चय करें ।

(ii) अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(iii) समिति की किसी बैठक की प्रक्रिया तथा कार्यसूची वही होगीा जो अध्यक्ष द्वारा निदेशित किया जाय ।

(iv) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत सचिव द्वारा संधारित किया जायेगा और समिति के सदस्यों द्वारा ऐसे कार्यवृत का निरीक्षण सभी युक्तियुक्त अवसरों पर किया जा सकेगा । कार्यवृत की एक प्रति यथाशीघ्र किन्तु बैठक के पश्चात दस दिनों के भीतर राज्य प्राधिकार को अग्रसारित की जायेगीा ।

(v) बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य सहित विद्यमान सदस्यों की संख्या की एक तिहाई से कम नहीं होगा ।

(vi) समिति की बैठक की कार्यसूची से संबंधित सभी विषयों का विनिश्चय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से होगा । मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति का मत निर्णायक होगा ।

(vii) जो विषय कार्यसूची में शामिल नहीं हो उन्हें तब तक उठाये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाला कोई अन्य सदस्य इसकी अनुमति नहीं दें ।

10. निधि, लेखा और अंकेक्षण

(i) समिति की निधियों में ऐसी राशि शामिल होगी जो उसे राज्य प्राधिकार द्वारा आवंटित और स्वीकृत की जाय तथा जो समय-समय पर समिति द्वारा या तो दान के रूप में अथवा विधिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों से या विरोधी पक्ष से या अन्य प्रकार से वसूली गई लागत, खर्च और व्यय के रूप में प्राप्त हो ।

(ii) समिति की निधियां अनुसूचित बैंक में संबंधित समिति के सचिव हस्ताक्षर से संधारित की जायेगी ।

(iii) आनुसंगिक खर्च जैसे स्टाम्प तथा आवश्यक व्यय के प्रयोजनार्थ, कम से कम दो हजार रूपये का स्थायी अग्रिम की पर्याप्त रकम संबंधित समिति के सचिव के जिम्मे रखी जायेगी ।

(iv) समिति के विभिन्न कृत्यों के निष्पादनार्थ आवश्यक विधिक सेवाओं पर होने वाले सभी व्यय का वहन समिति की निधि से किया जायेगा । सचिव, अध्यक्ष के निदेशानुसार समिति के लेखा का संचालन करेगा ।

(v) समिति का सचिव सभी प्राप्तियों तथा संवितरण का सही और समुचित लेखा संधारित करेगा और राज्य प्राधिकार को तिमाही विवरणी भेजेगा । ऐसे लेखा की लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी ।

अध्याय-ïïï

जिला विधिक सेवा प्राधिकार और अनुमंडल विधिक सेवा समिति

11. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कृत्य

(i) प्रत्येक जिला प्राधिकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जिला में राज्य प्राधिकार के वैसे कृत्यों का निर्वहन करे जो समय-समय पर उसे राज्य प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें ।

(ii) उप विनियम ;पद्ध में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला प्राधिकार निम्नलिखित कृत्यों में से सभी या किसी का निष्पादन कर सकेगा :-

(क) जिला में अनुमंडल विधिक सेवा समिति तथा अन्य विधिक सेवाओं के कार्य-कलापों में समन्वय स्थापित करना,

(ख) जिला के अन्तर्गत लोक अदालतों का आयोजन करना,

(ग) जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों के संबंध में उसके पक्षकारों के बीच वार्ता, मध्यस्थता तथा समझौता के जरिये विवादों का निपटारा करने को प्रोत्साहित करना,

(iii) (क) लोगों, विशेषकर महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गो में विधिक चेतना की अभिवृद्धि के लिए विधिक जानकारी-शिविरों का आयोजन,

(ख) विधिक चेतना के लिए पम्पलेटों, पुस्तिकाओं तथा अन्य सूचना पत्रों का प्रकाशन/वितरण ।

(ग) विधिक चेतना की अभिवृद्धि के लिए अर्द्ध-विधिक निदनिकाओं (क्लिनिकों) की स्थापना और उप पर नियंत्रण,

(घ) उस प्रयोजन के लिए संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

(ङ) लोगों के बीच विधिक जानकारी तथा विधिक चेतना को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गो को संविधान द्वारा और समाज कल्याण विधानों और अन्य अधिनियमितियों द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों, लाभों तथा विशेषाधिकारों तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों तथा उपायों आदि के बारे में अवगत कराने के लिए समुचित उपाय करना ।

(च) आधारिक स्तर पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों, महिलाओं तथा ग्रामीण तथा शहरी श्रमिक वर्गो के बीच कार्यरत स्वैच्छिक समाज कल्याण संस्थाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न करना,

(छ) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में आम जनता को सूचित करने के लिए वीडियों/वृत्तचित्रों, प्रचार सामग्रियों, साहित्य तथा प्रकाशित सामग्री प्रस्तुत करना ।

(iv) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, जिला प्राधिकार, जहां कहीं समुचित प्रतीत हो, अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा गरीबों के लिए

विधिक सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने में संलग्न संस्थाओं का सहयोग लेते हुए कार्य करेगा और वह ऐसी निर्देशों से भी मार्ग-दर्शन प्राप्त करेगा जो राज्य प्राधिकार उसे लिखित रूप में दें ।

12. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकारः--

(i) अधिनियम की धारा-9 की उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकार का सचिव किए जाने वाले न्यायिक अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के कार्यो तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसे अतिरिक्त कार्यो के निर्वहन के लिए उसे प्रतिमाह 250 रूपये के मानदेय का भुगतान किया जायेगा जिसे समय-समय पर राज्य प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

(ii) सचिव राज्य प्राधिकार को निपटारे के लिए सौंपी गयी सभी आस्तियों, लेखाओं, अभिलेखों तथा निधियों का अभिरक्षक होगा ।

(iii) सचिव अध्यक्ष के पर्यवेक्षणाधीन जिला प्राधिकार की निधियों की प्राप्ति तथा संवितरण का सत्य और समुचित लेखा रखेगा अथवा रखवायेगा ।

(iv) सचिव अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से जिला प्राधिकार की बैठक बुलायेगा और बैठक में भाग भी लेगा तथा ऐसी हरेक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त का सही और समुचित अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

13. जिला प्राधिकार की बैठक

(i) जिला प्राधिकार की बैठक सामान्यतः महीने में एक बार ऐसी तारीख को ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगी जैसा सचिव अध्यक्ष के परामर्श से विनिश्चय करें ।

(ii) अध्यक्ष और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके मुख्यालय में पदस्थापित ठीक उसके नीचे का वरिष्ठतम न्यायिक पदाधिकारी, जिसे अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जिला प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(iii) बैठक की कार्यसूची और कार्यवाही ऐसी होगी, जैसी अध्यक्ष अवधारित करें । ऐसी बातों को, जो उस कार्यसूची में शामिल न हो, उठाने की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि अध्यक्ष उसकी अनुमति नहीं दें ।

(iv) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त सचिव द्वारा रखा जायेगा, और जिला प्राधिकार के सदस्यों द्वारा युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण के लिए उसे खुला रखा जायेगा ।

(v) बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष सहित विद्यमान सदस्यों की एक तिहाई संख्या से कम नहीं होगी ।

(vi) जिला प्राधिकार की बैठक में सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक होगा ।

14. निधि, लेखा और लेख-परीक्षा

(i) जिला प्राधिकार की निधियों में ऐसी राशि अन्तर्विष्ट होगी जो उसे राज्य प्राधिकार द्वारा आवंटित और प्रदान की जाय तथा उसमें ऐसी रकम भी होगी जो जिला प्राधिकार द्वारा समय-समय पर या कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित दान के रूप में प्राप्त की जाय तथा विधिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों से या विरोधी पक्षकारों से या अन्यथा वसूली गई लागत, खर्च और व्यय रूप में वसूल की जाय ।

(ii) जिला प्राधिकार की निधि अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अनुसूचित बैंक में रखी जायेगी ।

(iii) आनुषंगिक खर्चो को पूरा करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त रकम, जो कम से कम दो हजार रूपये हो, अध्यक्ष के पर्यवेक्षणाधीन, जिला प्राधिकार के सचिव के नियंत्रण में रखी जायेगी ।

(iv) विधिक सहायता और सलाह सहित विधिक सेवाओं पर होने वाले सभी खर्च तथा जिला प्राधिकार के विभिन्न कृत्यों के निष्पादनार्थ व्यय की पूर्ति के लिए सचिव अध्यक्ष के पर्यवेक्षणाधीन जिला प्राधिकार के बैंक लेखा का संचालन करेगा ।

(v) जिला प्राधिकार का सचिव सभी प्राप्तियों तथा संवितरण का सही और समुचित लेखा रखेगा और राज्य प्राधिकार के पास तिमाही विवरणी भेंजेगा । ऐसी लेखा की लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी ।

15. अनुमंडल विधिक सेवा समिति के कृत्यः-

(i) प्रत्येक अनुमंडल विधिक सेवा समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अनुमंडल में, यथास्थिति, राज्य प्राधिकार या जिला प्राधिकार के ऐसे कृत्यों का सम्पादन करे, जैसा समय-समय पर राज्य प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय ।

(ii) अनुमंडल विधिक सेवा समिति निम्नलिखित सभी या किन्ही कृत्यों को सम्पादन कर सकेगीः-

(क) अनुमंडल में विधिक सेवा के कार्य-कलापों में समन्वयन करना,

(ख) अनुमंडल में लोक अदालतें आयोजित करना,

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादनप करना जो जिला प्राधिकार द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें ।

(घ) वार्ता, मध्यस्थता, समझौता के जरिये पक्षकारों के बीच विवादों का निपटारा करने हेतु प्रोत्साहित करना,

(iii) (क) समाज, विशेष रूप से महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गो में विधिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए विधिक जानकारी शिविरों का आयोजन करना,

(ख) विधिक चेतना के लिए परचों, पुस्तिकाओं तथा अन्य समाचार-पत्रों का प्रकाशन/वितरण करना,

(ग) विधिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए अर्द्ध-विधिक निदानिकाओं (क्लिनिकों) की स्थापना और नियंत्रण,

(घ) उस प्रयोजनार्थ संगोष्ठियों तथा कार्यशलाओं का आयोजन करना,

(ङ) लोगों के बीच विधिक जानकारी तथा विधिक चेतना बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गो को संविधान द्वारा और विशेष समाज कल्याण विधानों द्वारा और अन्य अधिनियमितियों द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकरों, लाभों तथा विशेषाधिकारों के बारे में तथा उनसे संबद्ध प्रशासनिक कार्यक्रमों एवं उपायों आदि के बारे में अवगत कराने के लिए समुचित उपाय करना ।

(च) आधारिक स्तर पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों, महिलाओं तथा ग्रामीणों तथा शहरी श्रमिकों के बीच कार्यरत स्वैच्छिक समाज कल्याण संस्थाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न करना ।

(छ) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में आम जनता को सूचित करने के लिए प्रचार सामग्रियों, सामान्य साहित्य तथा संबद्ध सामग्रियों के प्रकाशन का पबंध करना ।

(iv) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, जिला प्राधिकार, जहां कहीं समुचित प्रतीत हो, अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा गरीबों के हित में विधित सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने में संलग्न अन्य संस्थाओं का सहयोग लेते हुए कार्य करेगा और वह ऐसे निदेशों से मार्ग-दर्शित होगा जो राज्य प्राधिकार या जिला प्राधिकार उसे लिखित रूप में दे ।

16. अनुमंडल विधि सेवा समिति का सचिव

(i) अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के अधीन कार्यरत और उसके द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट पदधारी अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव के कर्त्तव्यों का पालन करेगा और अतिरिक्त कर्त्तव्यो के निर्वहन के लिए उसे प्रतिमाह 100 रूपये का मानदेय दिया जायेगा जिसे समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से राज्य प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित किया जायेगा ।

(ii) सचिव, अनुमंडल समिति को सौंपी गयी सभी अस्तियों, लेखाओं, अभिलेखों, तथा निधियों का अभिरक्षक होगा ।

(iii) सचिव, अनुमंडल समिति की निधियों की प्राप्ति और संवितरण का सही और समुचित लेखा रखेगा ।

(iv) सचिव, अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से अनुमंडल समिति की बैठक बुलायेगा और बैठकों में भाग भी लेगा तथा ऐसी हरेक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत का सही और समुचित अभिलेख रखने केलिए उत्तरदायी होगा ।

17. अनुमंडल समिति की बैठक

(i) अनुमंडल समिति की बैठक सामान्यतः महीने में एक बार ऐसी तारीख को ऐसे समय तथा स्थान पर होगी जैसा कि अध्यक्ष विनिश्च करें ।

(ii) अध्यक्ष, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अनुमंडल समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(iii) बैठक की प्रक्रिया और कार्यसूची वही होगी जिसे अध्यक्ष अवधारित करें ।

(iv) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत सचिव द्वारा रखा जायेगा और अनुमंडल समिति के सदस्यों द्वारा युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण के लिए उसे खुला रखा जायेगा ।

(v) बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य सहित विद्यमान सदस्यों की एक तिहाई संख्या से कम नहीं होगी ।

(vi) अनुमंडल समिति की बैठक में रखे गये सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से किया जायेगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक होगा ।

(vii) कार्यसूची में असम्मिलित मामलों को उठाये जाने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाला कोई अन्य सदस्य उस निमित्त अनुमति न दें ।

18. अनुमंडल विधिक सेवा समिति की निधि, लेखा और लेखा-परीक्षा

(i) अनुमंडल समिति की निधि में ऐसी राशि अंतर्विष्ट होगी जो राज्य प्राधिकार द्वारा आवंटित और प्रदत्त की जाय तथा समय-समय पर जिला प्राधिकार के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित चन्दे के रूप में समिति द्वारा प्राप्त की जाय अथवा विधिक सहायता-प्राप्त व्यक्तियों से या प्रतिवादी से या अन्यथा लागत, प्रभार एवं व्यय के रूप में वसूल की जाय ।

(ii) अनुमंडल समिति की निधि अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अनुसूचित बैंक में रखी जायेगी ।

(iii) आनुषंगिक खर्चो को पूरा करने के प्रयोजनार्थ एक हजार रूपये से अन्युन स्थायी अग्रिम की यथेष्ट रकम सचिव, अनुमंडल समिति के जिम्मे रखी जायेगी ।

(iv) अनुमंडल समिति के विभिन्न कृत्यों के क्रियान्वयन हेतु विधिक सेवाओं पर होने वाले सभी आवश्यक व्यय अनुमंडल समिति की निधि से पूरे किए जायेगे । अनुमंडल समिति के बैंक लेखा का प्रचालन अध्यक्ष करेंगा ।

(v) अनुमंडल समिति का सचिव सभी प्राप्तियों और संवितरण का सही एवं शुद्ध लेखा संधारण करेगा और कार्यकारी अध्यक्ष के निदेशानुसार राज्य प्राधिकार को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा । अनुमंडल समिति के लेखा की लेखा-परीक्षा अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी ।

अध्याय - ट
विधिक सहायता

19. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो बिहार का वास्तविक निवासी हो तथा किसी विधिक न्यायालय में लम्बित या अनुध्यात, सिविल, अपराधिक, राजस्व मामले या किसी अन्य मामले में पक्षकार हो, विधिक सहायता का हकदार होगा यदि उसकी वार्षिक आय 12,000 रू0 या बिहार

विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 केनियम 16 के अधीन समय-समय पर यथा नियत राशि से अनधिक हो, अथवा वह व्यक्ति--

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य हो,

(ख) मानव दुर्व्यापार से पीड़ित हो अथवा संविधान के अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट भिाखरी हो,

(ग) 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची तथा 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो,

(घ) मानसिक रूप से बीमार या अन्यथा निःशक्त व्यक्ति हो,

(ङ) विपत्ति से घिरा व्यक्ति, तथा प्राकृतिक आपदा, संजातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सुखाड़, भूकम्प या औद्योगिक दुर्घटना से पीड़ित हो,

(च) औद्योगिक कर्मकार हो,

(छ) अभिरक्षा में हो, जिसमें अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (104, 1956) की धारा-2, खण्ड (छ) के अर्थान्तर्गत (संरक्षा गृह) में अभिरक्षा या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (53, 1986) की धारा-2, खण्ड (ज) के अर्थान्तर्गत किशोर गृह में अभिरक्षा, भी शामिल है अथवा मानसिक आरोग्य अधिनियम, 1987 (14, 1987) की धारा 2 खण्ड (छ) के अर्थान्तर्गत मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में हो,

(ज) आय-सीमा के होने पर भी, विधिक सेवा समिति या राज्य प्राधिकार--

(i) बड़े लोक महत्व के मामले में,

(ii) वैसे परीक्षण मामले में, जिसके निर्णय का प्रभाव समाज के कमजोर वर्गो के असंख्य अन्य व्यक्तियों पर पड़ने की संभावना हो, या

(iii) ऐसे किसी भी मामले में, जिसे अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अध्यक्ष विधिक सहायता के योग्य समझे-विधिक सहायता प्रदान कर सकेगा ।

20. विधिक सहायता का ढंग

निम्नलिखित में से सभी, किसी एक या एक से अधिक ढंग से विधिक सहायता प्रदान की जा सकेगी जो संबंधित नियमों/विनियमों के अनुरूप होः-

(क) न्यायालय फीस छोड़कर किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में भुगतेय या उपगत प्रक्रिया फीस तथा अन्य सभी खर्च,

(ख) विधिक कार्यवही में विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व,

(ग) विधिक कार्यवाही में आदेशों की प्रमाणित प्रति और अन्य दस्तावेज प्राप्त करना

(घ) विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों का मुद्रण एवं अनुवाद सहित कागजात की पुस्तिका तैयार करना,

---

1. संशोधन अधिसूचना संख्या 187 दिनांक 15 मार्च 2001 द्वारा निरस्त किया गया ।

(ङ) कोई अन्य व्यय जिसे अध्यक्ष, विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकार किसी खास मामले की विशेष परिस्थिति में स्वीकृत करना उचित समझे ।

21. कतिपय मामलों में विधिक सहायता नहीं दी जायेगी

निम्नलिखित किसी भी मामले में विधिक सहायता नहीं दी जायेगी

(i) निम्नलिखित किसी भी मामले में पूर्ण या आंशिक कार्यवाहियां:-

(क) मानहानि,

(ख) विद्धेषपूर्ण अभियोजन,

(ग) कार्यवाही में कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना से आरोपित हो,

(ii) किसी निर्वाचन से संबंधित कार्यवाही ।

(iii) ऊपर मद ;पद्ध और ;पपद्ध में निर्दिष्ट किसी कार्यवाही से अनुषंगी कार्यवाहियां ।

(iv) ऐसे अपराधों से संबंधित कार्यवाहियां जो केवल 1000 रू0 से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय हो,

(v) आर्थिक अपराधों और समाज कल्याण विधियों के विरूद्ध या नैतिक अधमता विषयक अपराधों से संबंधित कार्यवाहियां,

(vi) जहां विधिक सहायता मांगने वाला व्यक्ति--

(क) केवल पदीय हैसियत से कार्यवाही से संबद्ध हो,

(ख) कार्यवाही का औपचारिक पक्षकार हो तथा वह कार्यवाही के फलाफल से तात्विक रूप से सरोकार न रखता हो और उपर्युक्त प्रतिनिधित्व के अभाव में उसके हित पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने वाला न हो :-

परन्तु अध्यक्ष उपर्युक्त मामलों में ऐसी कार्यवाहियों में भी अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विधिक सहायता प्रदान कर सकेगा ।

22. विधिक सहायता या परामर्श के लिए आवेदन

(i) विधिक सहायता या परामर्श प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, सचिव, संबंध उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकार या अध्यक्ष अनुमंडल विधिक सेवा समिति को संबोधित आवेदन कर सकेगा । किन्तु यदि आवेदक निरक्षर हो या वह आवेदन में अपेक्षित विशिष्टियों को भरने की स्थिति में न हो तो यथास्थिति, पूर्वोक्त समिति का सचिव या कोई अन्य पदाधिकारी, पदधारी या कोई विधि व्यवसायी, जिसका नाम पूर्वोक्त प्राधिकार/समिति के विधिक सहायता वकीलों के पैनल में हो, आवेदक से आवश्यक विवरण लेकर उसकी ओर से आवेदन तैयार करेगा तथा उसे पढ़कर तथा उसको समझाकर उस पर उसका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त कर लेगा । आवेदन इस विनियम की अनुसूची ''अ'' में उपदर्शित प्रपत्र में होगा ।

(ii) विधिक सहायता के आवेदन के साथ एक शपथ-पत्र होगा, जिसे विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता हेतु निर्णय करने के लिए तबतक यथेष्ट माना जायेगा, जब तक कि जिला प्राधिकार/समिति को ऐसे शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण न हो ।

(iii) संबद्ध प्राधिकार/समिति आवेदनों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें विधिक सहायता और परामर्श के सभी आवेदनों की प्रविष्टि की जाएगी तथा आवेदनों पर की गई कार्रवाई को ऐसे आवेदन से संबंधित प्रविष्टि के समक्ष लिखा जाएगा ।

23. आवेदनों का निपटारा

(i) विधिक सहायता या परामर्श का आवेदन प्राप्त होने पर, इस विनियम और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के उपबंधों के अनुसार आवेदक विधिक सेवाओं का पात्र है कि नहीं, यह निर्णय करने हेतु उच्च न्यायालय समिति या जिला प्राधिकार की दशा में सचिव और अनुमंडल समिति की दशा में अनुमंडल समिति का अध्यक्ष आवेदन की समीक्षा करेगा । ऐसे निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ वह आवेदक से यथा आवश्यक और जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा तथा आवेदक के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार-विमर्श भी कर सकेगा । आवेदन पर यथाशीघ्र तथा अधिमानतः एक माह के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा ।

(ii) जिस जिला प्राधिकार/समिति को आवेदन किया जाएगा वह आवेदन पर विचार कर आवेदक की पात्रता के संबंध में निर्णय लेगा तथा विधिक सहायता प्रदान करने या अस्वीकृत करने संबंधी उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

(iii) जहां विधिक सहायता प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया जाएगा वहाँ ऐसा निर्णय लिए जाने का कारण जिला प्राधिकार/समिति द्वारा आवेदनों के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाएगा और इस आशय की लिखित सूचना आवेदक को भी दी जायेगी ।

(iv) विधिक सहायता या परामर्श का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि संबद्ध प्राधिकार/समिति का समाधान हो जाए कि --

(क) आवेदक ने जान-बुझकर मिथ्या कथन किया है या मामला अथवा अपने साधन स्त्रोत या निवास स्थान केसंबंध में गलत जानकारी दी है, या

(ख) किसी विधि न्यायालय में चलाने हेतु प्रस्तावित किए जाने वाले अनुध्यात सिविल, अपराधिक या राजस्व या किसी अन्य मामलों में ऐसी कार्यवाहियां चलाए जाने का प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता हो, या

(ग) विनियम 19 के अधीन या विधिक या अधिनियम तथा उसे अधीन बनाई गई नियमावली के किसी अन्य उपबंध के अधीन आवेदक विधिक सहायता या परामर्श पाने का हकदार नहीं है,

(घ) मामले के सभी परिस्थितियों को देखते हुए उसे विधिक सहायता या परामर्श प्रदान करना अन्यथा न्यायोचित या युक्तियुक्त नहीं हे ।

24. पात्रता का प्रमाण-पत्र

(i) जहां विधिक सेवाओं के आवेदन को स्वीकृत किया जाए, वहां यथास्थिति, संबध प्राधिकार/समिति का सचिव आवेदक को संबद्ध कार्यवाहियों के संबंध में विधिक सेवाओं का हकदार होने की पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी करेगा । प्रमाण-पत्र इस विनियम की अनुसूची ''अ'' में उपदर्शित प्रपत्र में होगा ।

(ii) पात्रता का प्रकमाण पत्र आवेदक को उसमें यथाविनिर्दिष्ट विधिक सहायता का हकदार बनाएगा ।

(iii) पात्रता का प्रमाण पत्र रद्दहो जायेगा यदि विधिक सहायता वापस ले ली जाए और आवेदक का मामला जिस वकील को समुनदेशित किया गया हो उसे तथा जिस न्यायालय में मामला लम्बित हो उसे न्यायालय को भी तदनुसार लिखित सूचना दे दी जाएगी ।

25. पैनल के विधिक व्यवसायी को भुगतेय मानदेय

(i) संबद्ध समिति/जिला प्राधिकार वैसे विधि व्यवसायियों का एक पैनल बनाएगी/ बनाएगा जो इस विनियम के अधीन विधिक सहायता प्रदत्त व्यक्तियों की ओर से मामले का प्रतिनिधित्व या अभिवाक करने के लिए तैयार हो ।

(ii) प्रथमतः बिना कोई फीस दिए विधि व्यवसायी की सेवा लेने का प्रयास किया जाएगा । यदि ऐसी सेवाओं का इस तरह प्रबंध न किया जा सके तो संबद्ध समिति/जिला प्राधिकार निम्नलिखित दर से फीस का भुगतान कर सकेगाः-

(क) उच्च न्यायालय

रिट याचिका		
एल0पी0ए0	..	500 रूपये
सेकेण्ड अपील	..	750 रूपये
प्रथम अपील	..	750 रूपये
सिविल मिसलेनियम अपील	..	1000 रूपये
सिविल रीविजन	..	500 रूपये

	आपराधिक रीविजन/अपील	..	500 रूपये
(ख)	जिला स्थित न्यायालय		
	अवर न्यायाधीश के समक्ष दिवानी वाद	..	750 रूपये
	अवर न्यायाधीश/जिला जज के समक्ष मूल आवेदन ।	..	500 रूपये
	सहायक सत्र न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपराधिक वाद ।	..	500 रूपये
	होस्टाइल मामलों में	..	250 रूपये
(ग)	अनुमंडलीय न्यायालय		
	अपराधिक वाद/भरण पोषण वाद ..		500 रूपये
	सिविल वाद	..	500 रूपये
	जमानत आवेदन यदि मुख्य वाद में अधिवक्ता को शुल्क नहीं दिया गया हो ।	..	100 रूपये
(घ)	जिला स्थित राजस्व न्यायालय		
	समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता एवं अन्य समकक्ष न्यायालय सर्वे न्यायालयों सहित ।		750 रूपये
(ङ)	अनुमंडल दण्डाधिकारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता एवं अन्य अनुमंडल स्तरीय न्यायालय ।		500 रूपये

(च) किसी मामले में, अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यदि अध्यक्ष द्वारा यह समझा जाए कि वह ऐसी प्रकृति/महत्व का है कि उसमें विधि व्यवसायी को उच्चतर फीस देने की आवश्यकता है तो वह ऐसे उच्चतर फीस का भुगतान कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

(iii) विनियम (2) के अधीन भुगतेय फीस का भुगतान दो किस्तों में निम्नलिखित रूप से किया जाएगाः-

(क) विधि व्यवसायी को बचनबद्ध करने पर मामलों की प्रथम सुनवाई के पश्चात फीस का 1/3 भाग,

(ख) मामले पर अन्तिम निर्णय होने पश्चात फीस का शेष 2/3 भाग ।

(iv) विधिक परामर्श या विधिक सहायता के लिए समुनदेशित विधि व्यवसायी ऐसे व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से चाहे नकद रूप में या वस्तु रूप में या मौखिक या अन्यथा कोई अन्य लाभ, फीस पारिश्रमिक के तौर पर प्राप्त नहीं करेगा तथा वह इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(v) पैनल का ऐसा विधि व्यवसायी, जिसने अपना समुनदेशन पूरा कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति की ओर से अपने द्वारा संचालित विधिक कार्यवाही से संबंधित अपना देय फीस दर्शाते हुए संबद्ध प्राधिकार/समिति के सचिव को विवरण प्रस्तुत करेगा जो सम्यक समीक्षा करने के पश्चात अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करेगा तथा ऐसी स्वीकृति मिल जाने पर बाकी रकम सचिव द्वारा विधि व्यवसायी को भुगतान किया जायेगा ।

26. सहायता प्राप्त व्यक्ति का कर्त्तव्य

जब कभी समिति/जिला प्राधिकार या इस तरह बचनबद्ध किए गए विधि व्यवसायी द्वारा अपेक्षा की जाए, हरेक सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि उसके कार्यालय में उपस्थित होगा, संबद्ध विधि व्यवसायी के समक्ष मामले से संबंधित सभी तथ्यों को उदघाटित करेगा तथा जब कभी विधि व्यवसायी द्वारा अपेक्षा की जाए अपने खर्च पर न्यायालय में हाजिर होगा ।

27. पात्रता प्रमाण पत्र रद्दकरण

संबद्ध प्राधिकार/समिति निम्नलिखित परिस्थितियों में स्व प्रेरणा से या अन्यथा विनियम 24 के अधीन प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र रद्द कर सकेगाः-

(क) यदि यह पाया जाए कि ऐसे व्यक्ति को पर्याप्त साधन स्त्रोत है या दुव्यादेशन कपट पूर्वक पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, की दशा में,

(ख) विधिक सहायता प्राप्त करने के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई अवचार, अपराध या उपेक्षा करने की दशा में,

(ग) ऐसे व्यक्ति द्वारा समिति जिला प्राधिकार के साथ या समिति/जिला प्राधिकार द्वारा यथा समुनदेशित विधि व्यवसायी के साथ सहयोग नहीं किए जाने की दशा में,

(घ) उस व्यक्ति द्वारा समिति/जिला प्राधिकार द्वारा समुनदेशित विधि व्यवसायी से भिन्न किसी विधि व्यवसायी को मुकर्रर करने की दशा में,

(ङ) ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में सिवाय ऐसी स्थिति के जब ऐसी कार्यवाही विधि प्रतिनिधि के माध्यम से चलती रहे ।

परन्तु ऐसा कोई पात्रता प्रमाण-पत्र ऐसे व्यक्ति को या उसकी मृत्यु की दशा में उसके प्रतिनिधि को, इस आशय की कारण पृच्छा नोटिस दिए वगैर कि प्रमाण पत्र क्यों न रद्द कर दिया जाए, रद्द नहीं किया जाएगा ।

अध्याय-ट
लोक अदालत

28. लोक अदालत आयोजित करने हेतु कार्यवाही

यथास्थिति, सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकार या अध्यक्ष, अनुमंडल विधिक सेवा समिति मामले की संख्या के मद्देनजर यथोचित नियमित अन्तराल पर लोक अदालत का संयोजन एवंगठन करेगा ।

(ii) यथास्थिति, सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकार या अध्यक्ष, अनुमंडल विधिक सेवा समिति हर माह में कम से कम एक बार तथा अधिनियम की धारा-20 के अधीन या अन्यथा विचार के लिए इसे निर्दिष्ट मामलों की संख्या यथेष्ट होते ही लोक अदालत का आयोजन करेगा ।

(iii) यथास्थिति, सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकार अथवा अध्यक्ष, अनुमंडल विधिक सेवा समिति के विचारार्थ उपलब्ध किसी विशिष्ट प्रकार के मामले के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(iv) विधि व्यवसाय सेजुड़े सदस्यों, महाविद्यालयों के छात्रों, विधिक क्लीनिक, सामाजिक संगठनों, दातव्य एवं परोपकारी संस्थानों तथा इसी प्रकार के अन्य संगठनों के सदस्यों को लोक अदालत में सहयुक्त किया जा सकेगा ।

29. राज्य प्राधिकार को सूचना

यथास्थिति, सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकार या अध्यक्ष, अनुमंडल विधिक सेवा समिति लोक अदालत के प्रस्तावित आयोजन की तिथि से काफी पहले ही लोक अदालत के प्रस्तावित आयोजन की सूचना राज्य प्राधिकार को देगा तथा राज्य प्राधिकार को निमनलिखित सूचना भी देगाः-

(i) लोक अदालत के प्रस्तावित के स्थान, तारीख एवं समय,

(ii) मामले की कोटियां एवं स्वरूप, यथा लोक अदालत के समक्ष रखे जाने वाले लम्बित मामले या मुकदम- पूर्व विवाद, या दोनों,

(iii) लोक अदालत के समक्ष लाए जाने वाले प्रस्तावित मामलों की संख्या,

(iv) लोक अदालत के संयोजन एवं आयोजन से सुसंगत कोई अन्य जानकारी ।

30. उच्च न्यायालय के स्तर पर लोक अदालत की संरचना

(1) लोक अदालत में कम से कम उच्च न्यायालय के एक वर्त्तमान या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे तथा निम्नलिखित में से ऐसे अन्य सदस्य (दो से अनधिक) होंगे ।

(क) विधि व्यवसाय का सदस्य,
(ख) सामाजिक कार्यकर्त्ता,
(ग) विधि सेवा स्कीमों में रूचि रखने वाला ख्याति प्राप्त व्यक्ति, और
(घ) स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधि ।

(2) जिला स्तर पर लोक अदालत की संरचना

लोक अदालत में कम से कम एक वर्तमान या अवकाश प्राप्त न्यायिक पदाधिकारी तथा निम्नलिखित में से ऐसे अन्य सदस्य (दो से अनधिक) होंगेः-

(क) विधि व्यवसाय का सदस्य,
(ख) सामाजिक कार्यकर्त्ता,
(ग) विधि सेवा स्कीमों में रूचि रखने वाला ख्याति प्राप्त व्यक्ति, और
(घ) स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधि ।

(3) अनुमंडल स्तर पर लोक अदालत की संरचना

लोक अदालत में कम से कम एक वर्तमान या अवकाश प्राप्त न्यायिक पदाधिकारी तथा निम्नलिखित में से ऐसे अन्य सदस्य (दो से अनधिक) होंगेः-

(क) विधि व्यवसाय का सदस्य,
(ख) सामाजिक कार्यकर्त्ता,
(ग) विधि सेवा स्कीमों में रूचि रखने वाला ख्याति प्राप्त व्यक्ति, और
(घ) स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधि ।

31. लोक अदालत का आयोजन

लोक अदालत का आयोजन शनिवार, रविवार तथा अवकाश के दिनों सहित ऐसे समय, स्थान एवं तिथि को किया जाएगा जैसा यथास्थिति, राज्य प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकार अनुमंडल विधिक सेवा समिति समुचित समझे ।

32. लोक अदालत में मामलों का निर्दशन

;पद्ध संबद्ध न्यायालयों द्वारा अधिनियम की धारा-20 के अनुसार लोक अदालत में मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा, यदिः-

(क) उसके पक्षकार सहमत हो,
(ख) उसका एक पक्षकार, निपटान हेतु मामले को लोक अदालत में भेजने हेतु न्यायालय के पास आवेदन करे तथा, यदि ऐसे न्यायालय का प्रथम दृष्टया समाधान हो जाए कि निपटान की अच्छी संभावना है, अथवा
(ग) न्यायालय का अन्यथा समाधान हो जाए कि लोक अदालत में संज्ञान लेने हेतु उपयुक्त मामला है ।

(ii) ऐसा निर्देश करते समय, संबद्ध न्यायालय लोक अदालत के समक्ष मामले को रखने हेतु अभिलेख/संचिका संबद्ध समिति के सचिव को भेज देगा और उसके लिए नियत तिथि को लोक अदालत में उपस्थित रहने हेतु पक्षकारों को निदेश देगा ।

(iii) लोक अदालत में विवाद के निपटारा हेतु किसी पक्षकार द्वार लोक अदालत में दिए गए आवेदन की प्राप्ति पर संबद्ध लोक अदालत संबद्ध न्यायालय को अध्यपेक्षा भेजेगा कि उसके समक्ष मामले को रखने हेतु अभिलेख/संचिका समिति/जिला प्राधिकार के सचिव या अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष को भेज दिया जाय और पक्षकारों को निदेश देगा कि वे नियत तिथि को लोक अदालत में उपस्थित हो ।

(iv) प्राप्ति से लेकर लौटाए जाने तक अभिलेखों की निरापद अभिरक्षा की जिम्मेवारी यथास्थिति, सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकार या अध्यक्ष, अनुमंडल विधिक सेवा समिति की होगी ।

(v) हरेक न्यायिक पदाधिकारी लोक अदालत के आयोजन तथा न्यायालय अभिलेखों के प्रेक्षण से सहयोग करेगा और लोक अदालत के माध्यम से विवादों को निपटाने का ईमानदारी से प्रयास करेगा ।

(vi) लोक अदालत द्वारा मामले का निपटान किया गया है या नहीं, इसका विचार किए बिना लोक अदालत आयोजित होने के दस दिनों के भीतर न्यायिक अभिलेखों को कार्यवाही के निष्कर्ष के बारे में पृष्ठांकन के साथ वापस कर दिया जायेगा । किन्तु, यदि लोक अदालत समिति उचित समझे कि मामले को अगले लोक अदालत में फिर से रखा जाय जिसमें निपटान की संभावना हो, वह मामला से संबंधित अभिलेखों/संचिका का रोक रखने के लिए स्वतंत्र होगी तथा संबद्ध न्यायालय को इसकी सूचना दे देगी ।

33. मुकदमा पूर्व स्तर पर लोक अदालत

(1) मुकदमा पूर्व स्तर पर विवाद के निपटारे के लिए जिला प्राधिकार/ समिति के सचिव अथवा अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष, यथास्थिति द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाने पर वह मामले की जांच करेगा और यदि वह उसे मुकदमा पूर्व निपटारे के लिए मामले की निर्दिष्ट करना उचित समझे तो वह विरोधी पक्षकार को आवेदन की प्रति तथा दस्तावेज यदि कोई हो, के साथ नोटिस जारी करेगा कि वह उसके समक्ष उपस्थित हो ।

(2) सचिव, जिला प्राधिकार/अध्यक्ष, अनुमंडल विधिक सेवा समिति यथास्थिति पक्षकारों को सुनने के पश्चात यदि मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट करना उचित समझे तो वह लोक अदालत की नियत तिथि पर मुकदमा पूर्व निपटारे के लिए लोक अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए पक्षकारों को निदेश देगा ।

(3) इस प्रकार निर्दिष्ट मामले का निपटारा यदि लोक अदालत द्वारा मुकदमा पूर्व स्तर पर न हो सके तो यथास्थिति, सचिव/अध्यक्ष, जिला प्राधिकार/अनुमंडल समिति कागजातों का अभिलेख रखेगा तथा पक्षकारों को न्यायालय से निदान कराने का परामर्श देगा और यदि पक्षकारों में से कोई विधिकसहायता का हकदार हो तो वह उसे विधिक सहायता के लिए उपयुक्त प्राधिकार के पास आवेदन करने हेतु निदेश देगा ।

(4) मुकदमा पूर्व स्तर पर लोक अदालत को निर्दिष्ट मामलों में पक्षकारों के बयान तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के साथ लोक अदालत के मूल अधिनिर्णय न्यायिक अभिलेख के अंग होंग ।

(5) लोक अदालत के समापन पर, मुकदमा पूर्व स्तर के मामलों का अभिलेख यथास्थिति, सचिव/अध्यक्ष जिला प्राधिकार/अनुमंडल समिति की अभिरक्षा में रहेगा ।

34. लोक अदालत के कृत्य

(i) सचिव, जिला प्राधिकार या अध्यक्ष अनुमंडल समिति यथास्थिति लोक अदालत की हरेक पीठ को विनिर्दिष्ट मामलों को समुनदेशित कर सकेगा ।

(ii) सचिव, जिला प्राधिकार या अध्यक्ष अनुमंडल समिति यथास्थिति लोक अदालत की हरेक पीठ के लिए मामले की एक सूची तैयार करेगा और सभी संबद्ध पक्षों को उसकी सूचना देते हुए उस लोक अदालत के कम से कम सात दिन पूर्व उस लोक अदालत की तिथि, समय और स्थान के बारे में सूचना देगा । उपर्युक्त विनियम 32(2) के अधीन, निर्देश करते समय, यदि सचिव, जिला प्राधिकार या अध्यक्ष, अनुमंडल समिति का ऐसा विचार हो, तो वह पक्षकारों को ऐसी नोटिस से अभियुक्त कर सकेगा ।

(iii) लोक अदालत की हरेक पीठ अपने समक्ष लाए गए हरेक मामले को, किसी प्रकार के प्रपीड़न, धमकी, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या दुर्व्यादेशन का सहारा लिए बिना सुलह पूर्वक निपटारा करने का ईमानदारी से प्रयास करेगी ।

35. लोक अदालत में समझौता या निपटारा कराने की प्रक्रिया

(i) जब पक्षकारों के बीच समझौता या निपटारा हो जाए तब लोक अदालत ऐसे समझौते के आधार अधिनिर्णय करने के लिए अग्रसर होगा ।

(ii) लोक अदालत के हरेक अधिनिर्णय पर लोक अदालत को गठित करने वाले पैनल के व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे ।

(iii) मूल अधिनिर्णय न्यायिक अभिलेख का अंग हो जाएगा और अधिनिर्णय की सत्यापित एवं सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति सचिव, जिला प्राधिकार या अध्यक्ष, अनुमंडल समिति द्वारा यथास्थिति हरेक पक्षकार को दी जाएगी ।

36. अधिनिर्णय सुस्पष्ट एवं सुबोध होगा

1. लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय सुस्पष्ट एवं सुबोध होगा और स्थानीय न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा में लिखा जाएगा, अधिनिर्णय अंग्रेजी या हिन्दी में लेखबद्ध किया जा सकेगा ।

विवाद के पक्षकारों से अपेक्षा की जाएगी कि वह लोक अदालत अधिनिर्णय पर, यथास्थिति, अपना हस्ताक्षर करें या अंगूठे का निशान लगावें ।

37. निष्कर्षो का संकलन

लोक अदालत के सत्र का समापन होने पर सचिव, संबद्ध प्राधिकार/समिति यथास्थिति राज्य प्राधिकार को प्रस्तुत करने हेतु निष्कर्षो का संकलन करेगा ।

38. लोक अदालत के न्यायाधीशों की नामावली का संधारण

संबद्ध समिति/प्राधिकार का सचिव ऐसे सेवा निवृत न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं आदि की एक नामावली रखेगा जो लोक अदालतों में स्वयं को सम्मिलित करने के लिए इच्छुक हो ।

39. भत्ता एवं मानदेय

(1) लोक अदालत-पीठ के प्रत्येक गैर न्यायिक सदस्य को प्रति लोक अदालत 500 रूपया मानदेय दिया जाएगा ।

(2) स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत की पीठ के सेवा निवृत न्यायिक पदाधिकारी सदस्य को उसके द्वारा अन्तिम वेतन में से पेंशन की राशि को घटाकर राशि देय होगीः

परन्तु यदि लोक अदालत स्थायी रूप से गठित नहीं है तो सेवा निवृत न्यायिक पदाधिकारी सदस्य को भी रू0 500 (पांच सौ) ही मानदेय प्रति लोक अदालत देय होगा ।

(3) लोक अदालत ी पीठ में बैठने वाला सेवारत न्यायिक पदाधिकारी किसी मानदेय का अधिकारी नहीं होगा, लेकिन उसे उसके समवर्ग के अनुरूप अनुमान्य वेतन एवं अन्य अदायगिया देय होगी ।

40. लोक अदालत को निर्दिष्ट मामलों से संबंध अभिलेख के संधारणार्थ प्रक्रिया

संबद्ध समिति/प्राधिकार का सचिव एवं रजिस्टर रखेगा जिसमें लोक अदालत को निर्दिष्ट ऐसे भी मामले जो उसे प्राप्त हुए हो निम्नलिखित विशिष्टया दर्शाते हुए दर्ज किया जाएगाः-

(i) प्राप्ति की तारीख,
(ii) मामले का स्वरूप,
(iii) पक्षकारों के नाम एवं पता,
(iv) ऐसी अन्य विशिष्टियों जो आवश्यक समझी जाय,
(v) तारीख सहित निपटारे का परिणाम,
(vi) संबद्ध न्यायालय को केस अभिलेख वापस करने की तारीख ।

41. प्रकीर्ण

(i) लोक अदालत के पक्षकारों की ओर से वकीलों की उपसंजाती नामंजूर नहीं की जायेगी ।

(ii) लोक अदालत के समक्ष लाए गये या उसकी निर्दिष्ट किये गये विषयों या मामलों की बाबत पक्षकारों द्वारा कोई न्यायालय फीस भुगतेय नहीं होगी ।

(iii) यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव, जिला प्राधिकार का सचिव और अनुमंडल समिति का अध्यक्ष लोक अदालतों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा ।

अध्याय- ट्प
निधि एवं लेखा

42. 1. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा जिला प्राधिकार अधिनियम, निमावली और विनियमावली द्वारा परिकल्पित स्कीमों की बाबत आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्राक्कलन राज्य प्राधिकार को प्रस्तुत करेंगे ।

2. अनुमंडल विधिक सेवा समिति अधनियम, नियमावली और विनियमावली द्वारा परिकल्पित स्कीमों की बाबत आगामी वित्तीय वर्ष का अपना बजट प्राक्कलन संबद्ध जिला प्राधिकार को प्रस्तुत करेगी जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को अग्रसारित कर दिया जाएगा ।

3. ऐसी स्कीमों का खर्च गैर-योजना खर्च होगा जिसका वहन यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकार और अनुमंडल विधिक सेवा समिति द्वारा प्राप्त अनुदानों से किया जा सकेगा ।

43. लेखा संधारण

1. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला प्राधिकार/अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष स्कीमों पर उपगत होने वाले खर्च पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे ।

2. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा जिला प्राधिकार केसचिव राज्य प्राधिकार को प्रत्येक तीन माह पर सही एवं समुचित लेखा प्रस्तुत करेंग ।

3. अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जिला प्राधिकार के प्रत्येक माह सही एवं समुचित लेखा प्रस्तुत करेंगे जिसे सम्यक जांचोपरान्त राज्य प्राधिकार को अग्रसारित किया जाएगा ।

44. विशेष अनुदानों का आवंटन

यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकार या अनुमंडल विधिक सेवा समिति द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, यदि आवश्यक समझे, तो लोक अदालतों के आयोजनार्थ विशेष अनुदान आवंटित कर सकेगा ।

45. लेखा आदि का संधारण

जहां इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई विनियम या नियमावली से असंगति हो उसे छोड़कर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली लेखा संधारण के लिए लागू होगी ।

अध्याय- टप्

विधिक जानकारी

46. विधिक चेतना समिति

1. पटना उच्च न्यायालय के लिए विधिक चेतना समिति होगी जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के निर्देश और पर्यवेक्षणाधीन में कार्य करेगी ।

2. प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति में पन्द्रह सदस्य होंगे ।

3. उच्च न्यायालय विधिक चेतन समिति, पटना के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगेः-

(i)	पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष	-	अध्यक्ष
(ii)	पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव	-	सचिव
(iii)	पटना उच्च न्यायालय विधिक संघ का अध्यक्ष	-	सदस्य
(iv)	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना -	-	सदस्य

4. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इस विनियम के उप-विनियम (6) में विहित अनुभव एवं अर्हता रखने वाले सदस्यों में से अन्य सदस्यों (ग्यारह से अनधिक) को नाम निर्दिष्ट करेंगे जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और महिला में से कम से कम एक-एक सदस्य शामिल होंगे ।

5. कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्देशन का पात्र नहीं होगा, जब तक कि वहः-

(क) एक ऐसा विख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता न हो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, महिला और बच्चों, ग्रामीण एवं शहरी श्रमिक सहित कमजोर वर्गो के उत्थान में संलग्न न हो, अथवा

(ख) विधि क्षेत्र का विख्यात व्यक्तिन हो, अथवा

(ख) ऐसा विख्यात व्यक्ति न हो जो विधिक चेतना स्कीमों के कार्यान्वयन में विशेष रूचि न लेता हो, अथवा

(घ) ऐसा कोई व्यक्ति हो जो शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न न हो या संलग्न न रहा हो,

(ङ) विधि का ऐसा छात्र न हो जो अधिनियम, और उसके अधीन बनाई गई नियमावली और विनियम द्वारा परिकल्पिक स्कीमों में संलग्न न हो ।

47. उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति के सदस्यों की पदावधि और नियुक्ति की अन्य शर्त्तेः

(i) विनियम 47 के उप विनियम (5) के अधीन नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति के सदस्यों को पदावधि दो वर्षो की होगी और व पुनर्नामनिर्देशन के पात्र होंगे ।

(ii) विनियम 47 के उप विनियम (5) के अधीन नाम निर्दिष्ट सभी सदस्य उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति द्वारा आयोजित बैठकों/शिविरों में भाग लेने हेतु की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते के हकदार होंगे तथा उन्हें सरकारी कत्तव्यों के लिए की गई यात्रा के लिए ऐसी दरों पर यात्रा भत्ता दिया जायेगा जो श्रेणी-1 के पदाधिकारी को अनुमान्य हो या जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विहित किया जाय ।

(iii) यदि सदस्य कोई सरकारी कर्मचारी हो तो वह ऐसी दरों पर यात्रा भत्ता एवं महंगाई भत्ता लेने का हकदार होगा जो सेवा नियमावली के अधीन उस पर लागू होती हो और उसी विभाग से निकासी करेगा जहां नियोजित हो ।

48. उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति के कृत्य

(i) विधिक चेतना के संबंध में राज्य प्राधिकार की नीति एवं निर्देश को कार्यान्वित करना उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति का कर्त्तव्य होगा ।

(ii) उप विनियम ;पद्ध में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति उच्च न्यायालय हेतु निम्नलिखित सभी या कोई कृत्य करेगीः-

(क) समाज में, खासकर महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गो के बीच विधिक चेतना की अभिवृद्धि के लिए विधिक जानकारी शिविरों का आयोजन करना,

(ख) विधिक चेतना हेतु पम्पलेटों, पुस्तिकाओं और अन्य सूचना पत्रों का प्रकाशन एवं वितरण,

(ग) विधिक चेतन को बढ़ाने हेतु अर्द्ध विधिक क्लिनिकों की स्थापना एवं नियंत्रण,

(घ) इस कार्य के लिए संगोष्ठियां एवं कार्यशालाओं को आयोजन करना ।

(ङ) लोगों के बीच विधिक जानकारी एवं चेतना को बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाना, खासकर समाज के कमजोर वर्गो को संविधान द्वारा तथा समाज कल्याण विधानों और अन्य अधिनियमितियों द्वारा प्रत्याभूत उनके अधिकारों लाभों और विशेषाधिकरों तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों एवं उपायों आदि के बारे में अवगत कराना,

(च) आधारिक स्तर पर, खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, महिलाओं, ग्रामीण एवं शहरी श्रमिक वर्गो के बीच कार्यरत स्वैच्छिक समाज कल्याण संस्थाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न करना,

(छ) जन साधारण को विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए प्रचार सामग्री एवं साहित्य का सृजन करना ।

49. सचिव के कृत्य

(i) सचिव समिति को सुपूर्द की गई सभी आस्तियों, लेखाओं, अभिलेखों और निधियों का अभिरक्षक होगा तथा वह समिति के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण एवं निर्देशाधीन कार्य करेगा ।

(ii) समिति की बैठक की अध्यक्ष, अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट करेगा ।

(iii) समिति की किसी बैठक की प्रक्रिया वही होगी जो अध्यक्ष अवधारित करें ।

(iv) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त का संधारण सचिव द्वारा किया जायेगा, जिसे निरीक्षण समिति के किसी भी सदस्य के लिए सभी युक्तियुक्त समय पर खुला रखा जायगा । कार्यवृत्त की एक प्रति राज्य प्राधिकार को अग्रसारित की जायगी ।

बैठक की गणपूर्ति बैठक की अध्यक्ष करने वाले अध्यक्ष या सदस्य सहित विद्यमान सदस्यों का एक तिहाई से कम नहीं होगी ।

(6) बैठक में सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से मतदान द्वारा किया जाएगा । मत बराबर होने की दशा में अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति का मत निर्णायक होगा ।

51. जिला विधिक चेतना समिति

(i) संबद्ध जिला के लिए एक पृथक जिला विधिक चेतना समिति होगी जो जिला प्राधिकार के निर्देश एवं पर्यवेक्षणाधीन कार्य करेगी ।

(ii) जिला विधिक चेतना समिति में निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगेः-

(i)	संबद्ध जिला के जज न्यायाधीश	-	अध्यक्ष
(ii)	अध्यक्ष, जिला विधिज्ञ संघ	-	सदस्य
(iii)	जिला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	-	सचिव
(iv)	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी	-	सदस्य
(v)	जन सम्पर्क पदाधिकारी	-	सदस्य

(vi) जिला विधिक चेतना समिति का अध्यक्ष वनियम-47 के उप-विनियम (6) में विहित अनुभव एवं अर्हता रखने वाले व्यक्तियों में से अन्य सदस्यों (छः से अनधिक) का नाम निर्दिष्ट कर सकेगा, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति और महिलाओं में से कम से कम एक सदस्य शामिल होंग ।

52. जिला विधिक चेतना समिति के सदस्यों की पदावधि और नियुक्ति की अन्य शर्त्ते

(i) विनियम 47 के उप विनियम (6) के अधीन नाम निर्दिष्ट जिला विधिक चेतना समिति के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी और वे पुनः नाम निर्देशन के पात्र होंगे ।

(ii) उप-विनियम ;पपपद्ध के उपबंधों के अध्यधीन समिति के सदस्य जिला विधिक चेतना समिति द्वारा आयोजित बैठकों/शिविरों में भाग लेने हेतु की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे तथा उन्हें जिला विधिक समिति द्वारा राज्य सरकार के श्रेणी -प् के पदाधिकारियों को अनुमान्य दरों पर अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा यथा विहित दरों पर भुगतान किया जाएगा ।

(iii) यदि कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो तो वह उसी दर पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा जिस दर पर वह सेवा नियमावली के अधीन हकदार होगा और वह उस विभाग से भत्ता लेगा जहां वह नियोजित हो ।

53. जिला विधिक चेतना समिति के कृत्य

(i) राज्य प्राधिकार की नीति एवं निर्देशन को कार्यान्वित करना जिला विधिक चेतना समिति का कर्त्तव्य होगा ।

(ii) ऊपर उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कृतयों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिला विधिक चेतना समिति उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति हेतु इसमें इसके पूर्व उल्लिखित विनियम 49 में प्रमाणित सभी कृत्यों या किसी कृत्य का अनुपालन उस जिला के लिए करेगी ।

54. समिति की बैठक

(i) समिति की बैठक साधारणतः तीन माह में एक बार उस तारीख, समय और स्थान पर होगी जो समिति के अध्यक्ष के परामर्श से सचिव द्वारा विनिश्चित किया जाय ।

(ii) अध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नाम निदिष्ट कोई व्यक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(iii) समिति की किसी बैठक की प्रक्रिया वही होगी जो अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाय ।

(iv) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त का संधारण सचिव द्वारा किया जाएगा तथा समिति के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त समय पर उस कार्यवृत्त को कार्यवृत्तों की एक प्रति बैठक के पन्द्रह दिनों के भीतर राज्य प्राधिकार को अग्रसारित की जायगी ।

(v) बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य सहित विद्यमान सदस्यों की एक तिहाई संख्या से कम नहीं होगी ।

(vi) बैठक में सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित ओर मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा । मत बराबर होने की दशा में अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति का मत निर्णायक होगा ।

55. अनुमंडल विधिक चेतना समिति का गठन

(i) अनुमंडल विधिक सेवा समिति के पर्यवेक्षणाधीन संबद्ध अनुमंडल हेतु एक पृथक अनुमंडल विधिक चेतना समिति होगी ।

(ii) अनुमंडल विधिक चेतना समिति में अध्यक्ष सहित नौ सदस्य होंगे ।

(iii) अनुमंडल विधिक चेतना समिति में निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगेः-

(i) संबद्ध अनुमंडल का वरिष्ठतम न्यायिक पदाधिकारी - अध्यक्ष

(ii) विधिज्ञ संघ का अध्यक्ष - सदस्य

(iii) अनुमंडल मजिस्ट्रेट - सदस्य

(vi) अनुमंडल विधिक चेतना समिति का अध्यक्ष जिला विधिक चेतना समिति के अध्यक्ष के परामर्श से विनियम 56 के उप-विनियम ;अद्ध में विहित अनुभव एवं अर्हता रखने वाले व्यक्तियों में से अन्य सदस्यों (छः से अनधिक) का नाम निर्दिष्ट करेगा, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के एक-एक सदस्य शामिल होंगे ।

(v) कोई भी व्यक्ति अनुमंडल विधिक चेतना समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्देशन का पात्र नहीं होगा जबतक कि वहः-

(क) ऐसा उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्त्ता न हो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, महिला, बच्चा, ग्रामीण एवं शहरी श्रमिक वर्गो सहित समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान में संलग्न न हो,

(ख) विधि क्षेत्र का सुविख्यात व्यक्ति न हो,

(ग) ऐसा विख्यात व्यक्ति न हो जो विधिक चेतना स्कीमों के कार्यान्वयन में विशेष रूचि न रखता हो,

(ध) ऐसा व्यक्ति न हो जो शिक्षा क्षेत्र में संलग्न न हो या संलग्न न रहा हो,

(ङ) विधि का छात्र न हो ।

56. अनुमंडल विधिक चेतना समिति के सदस्यों की पदावधि एवं नियुक्ति की अन्य शर्त्ते ।

(i) विनियम 56 के उप-विनियम ;पद्ध के अधीन नाम निर्दिष्ट अनुमंडल विधिक चेतना समिति के सदस्यों की पदावधि दो वर्षो की होगी तथा पुनर्नामनिर्देशन के पात्र होंगे ।

(ii) उप-विनियम (3) के उपबंध के अध्यधीन समिति के सदस्य अनुमंडल विधि चेतना समिति द्वारा आयोजित बेठक/शिविर में भाग लेने हेतु की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ताएवं दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे जिसका भुगतान अनुमंडल विधिक सेवा समिति द्वारा ऐसी दरों पर किया जायगा जो सरकारी कर्त्तव्यों के दौरान की गई यात्रा के लिए श्रेणी-प्प् के कर्मचारियों को अनुमान्य हो अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जो विहित की जाय ।

(iii) यदि कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो तो वह यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उन्हीं दरों पर प्राप्त करने का हकदार होगा जिन दरों पर वह सेवा नियमावली के अधीन हकदार हो तथा वह उस विभाग से भत्ता प्राप्त करेगा जहां वह नियोजित हों ।

(iv) संबद्ध अनुमंडल में पदस्थापित तथा उस जिला के, जिसमें वह अनुमंडल अवस्थित हो, जिला न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य न्यायिक पदाधिकारी अनुमंडल विधिक चेतना समिति का सचिव होगा ।

57. अनुमंडल विधिक चेतना के कृत्य

(i) राज्य प्राधिकार तथा जिला विधिक सेवा समिति की नीति एवं निर्देश को कार्यान्वित करना अनुमंडल विधिक चेतना समिति का कर्त्तव्य होगा ।

(ii) ऊपर उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कृतयों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुमंडल विधिक चेतना समिति अनुमंडल हेतु विनियम 49 में परिगणित और इसमें इसके पूर्व उल्लिखित सभी कृत्यों या किसी कृत्य का अनुपालन करेगी ।

58. समिति की बैठक

(i) समिति की बैठक साधारणतः तीन माह में एक बार उस तारीख, और उस स्थान पर होगी जो सचिव, समिति के अध्यक्ष के परामर्श से, विनिश्चय करें ।

(ii) अध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति समिति की बैठक की अध्यक्ष करेंगा ।

(iii) बैठक की प्रक्रिया वहीं होगी जो अध्यक्ष अवधारित करें ।

(iv) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त की एक प्रति बैठक के पन्द्रह दिनों के भीतर जिला प्राधिकार को अग्रसारित कर दी जायगी ।

(v) बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य सहित विद्यमान सदस्यों की संख्या की एक तिहाई से कम नहीं होगी ।

(vi) बैठक में सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा । मत बराबर होने की दशा में अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति का मत निर्णायक होगा ।

59. विधिक जानकारी शिविर हेतु आयोजन की प्रक्रिया

(i) यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक जानकारी चेतना समिति अथवा जिला विधिक चेतना समिति के सचिव अथवा अनुमंडल विधिक चेतना समिति के अध्यक्ष महीने में कम से कम एक बार विधिक जानकारी शिविर का आयोजन करेगा ।

(ii) विधि व्यवसाय के सदस्यों एवं महाविद्यालय के छात्रों, सामाजिक संगठनों, परोपकारी एवं लोकोपकारी संस्थाओं को ऐसे विधिक जानकारी शिविरों में सम्मिलित किया जायगा ।

60. राज्य प्राधिकार को सूचना

(i) उच्च न्यायालय विधिक चेतना समिति, जिला विधिक चेतना समिति के सचिव और अनुमंडल विधिक चेतना समिति के अध्यक्ष यथास्थिति जिला प्राधिकार को विधिक जानकारी शिविर के आयोजन के प्रस्ताव के संबंध में उस तारीख से काफी पहले सूचित करेंगे जिस तारीख को ऐसा शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित हो तथा ऐसे शिविर की तारीख स्थान और समय एवं इसमें से संबंधित सगठनों का विस्तृत ब्यौरा भेंजेंगे ।

61. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के संबंध में परित्राणा

यथास्थिति, उच्च न्याालय विधिक सेवा समिति जिला प्राधिकर/अनुमंडल विधिक सेवा समिति के निर्देशाधीन कार्यरत सदस्यों अथवा किसी पदाधिकारी या व्यक्ति के विरूद्ध इस विनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश के कार्यान्वयन अथवा इस विनियम के अधीन ऐसे सदस्य, पदाधिकारी या व्यक्ति द्वारा सदभावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी ।

बि0स0मु0 (विधि) 91- डी0टी0पी0- 800-11-3-2002

अनुसूची ''क''
(देखें विनियम संख्या 20)
विधिक सहायता देने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम -
2. आवेदक के पिता/पति का नाम -
3. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का है? यदि हां, तो उपजाति का उल्लेख करें-
4. आवेदक का पेशा-
5. आवेदक का पता -
6. आवेदक का वार्षिक आय-
7. उस न्यायालय/अधकरण का नाम जिसमें मामला संस्थित किया गया हो या लम्बित हो -
8. प्रतिवादी का नाम और पता-
9. विवाद का विषय-वस्तु-
10. उस अधिवक्ता का नाम जिसकी सेवा आवेदक लेना चाहेगा -
11. इसी विषय वस्तु से संबंधित कोई कार्यवाही किसी न्यायालय/अधिकरण में संस्थित की गयी थी, यदि ऐसा हो तो उसका परिणाम-
12. किसी पूर्व अवसर पर किसी सहायता के लिए आवेदन दिया, प्राप्त हुआ या इनकार किया गया था यदि ऐसा हो तो कार्यवाही और उसमें प्राप्त विधिक सहायता की विशिष्टयां दें-

स्थानः-
तारीख-

आवेदक का हस्ताक्षर

सत्यापन

अनुसूची ''ख''
विधिक सेवा प्राधिकार/समिति का कार्यालय

प्रमाण-पत्र

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदकश्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति ..... निवासी..... द्वारा भेजी गयी विशिष्टियों पर विधिक सेवा प्राधिकार/समिति उक्त आवेदक को मामला संख्या .... में विधिक सहायता देने का निर्णण लिया जो .... के न्यायालय में लम्बित/संस्थित किया गया है और आवेदक की इच्छानुसार श्री ..... अविधक्ता को आवेदक की ओर से उक्त मामले में विनियम, अधिनियम और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार संबंधित न्यायालय में उपस्थित होने और बहस करने हेतु नियुक्त किया गया है ।

स्थान-
तारीख-

अध्यक्ष/सचिव
विधिक सहायता प्राधिकार/समिति